



2026:AHC:56315

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा

482 बी.एन.एस.एस. संख्या - 2112/2026

रवि यादव

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: सुनील वशिष्ठ

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या- 72

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. श्री सुनील वशिष्ठ, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री उमा शंकर मिश्रा, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 362/2018, धारा 308, 323, 504, 506 आई.पी.सी. के अंतर्गत, थाना थरवई, जिला प्रयागराज में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस वाद में मिथ्या फँसाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि इस वाद में आरोप-पत्र पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है और विवेचना के दौरान आवेदक को धारा 41-ए दं.प्र.सं. के अंतर्गत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नोटिस तामील किया गया था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आरोप-पत्र वर्ष 2020 में प्रस्तुत किया गया था और वर्ष 2024 में संज्ञान लिया गया है तथा आवेदक विचारण में सहयोग करने के लिए तत्पर और इच्छुक है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का आपराधिक इतिहास है, जिसका स्पष्टीकरण आवेदन के ज्ञापन में किया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और विवेचना एजेंसी या न्यायालय द्वारा जब भी अपेक्षित हो, उपस्थित होगा। यह कथन किया गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विवेचना में सहयोग करेगा तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।

4. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया है।

5. विवेचना के दौरान आवेदक को धारा 41-ए दं.प्र.सं. के अंतर्गत नोटिस तामील किया गया था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आरोप-पत्र वर्ष 2020 में प्रस्तुत किया गया था और वर्ष 2024 में संज्ञान लिया गया है तथा आवेदक विचारण में सहयोग करने के लिए तत्पर और इच्छुक है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का आपराधिक इतिहास है, जिसका स्पष्टीकरण आवेदन के ज्ञापन में किया गया है।

6. यह उल्लेखनीय है कि **सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एससीसी 694** के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अग्रिम जमानत निर्णीत करते समय न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, अभियुक्त के पूर्ववृत्त, अभियुक्त के न्याय से फरार होने की संभावना पर विचार करना चाहिए तथा न्यायालय को अभियुक्त के विरुद्ध सभी उपलब्ध सामग्री का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना चाहिए और अभियुक्त की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।

7. वर्तमान वाद में, अग्रिम जमानत के संबंध में स्थापित विधि के सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें, आवेदक की भूमिका तथा वाद की सभी सहवर्ती तथ्य एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

8. अग्रिम जमानत आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. आवेदक रवि यादव, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त है, की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार रु. 50,000/- का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि की दो प्रतिभूतियां प्रत्येक प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

(i) आवेदक साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा तथा संबंधित न्यायालय द्वारा नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा छूट न दी जाए;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे उसे/उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

10. किसी भी शर्त के व्यतिक्रम की स्थिति में, अभियोजन पक्ष को आवेदक को प्रदत्त अग्रिम जमानत को रद्द करने हेतु उचित आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

19 मार्च, 2026

आरकेएम